



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 17 फरवरी, 2026 / 28 माघ, 1947

हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, दिनांक 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3 / 2024-5885-90.—क्योंकि विभाग में, जिला कांगड़ा, की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कांगड़ा, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने एवं जिला कांगड़ा, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कांगड़ा, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला कांगड़ा, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला कांगड़ा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित किए जाने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड देहरा						
1.	ढलियारा	1. कोहासन 2. ढलियारा 3. भरवाड़ा	1. कोहासन	बढहूँ	1. उपरला बढहूँ 2. बूहला बढहूँ 3. कोहासन	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा, "ढलियारा" में रहेंगे।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला -171 009, दिनांक 13 फ़रवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए(1)3/2024-5911-23.—क्योंकि विभाग में जिला बिलासपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला बिलासपुर, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपुर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला बिलासपुर, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला बिलासपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खंड झंडूता						
1.	सुन्हाणी	1. सुन्हाणी 2. बरड 3. झूहक	झूहक	1. बरड आंशिक (उप-गाँव मनहण खसरा न० 1000 से 1099, 1101 से 1452, 1457 से 1459, 1520 से 1523) 2. झूहक	1. सुन्हाणी 2. बरड (आंशिक)	
2.	बरठी	1. बरठी 2. सरगल 3. धरोटी 4. टिहरी 5. गुवाओ 6. भटोली 7. मोहीं	मनोह	1. गुवाओ 2. भटोली 3. मोहीं 4. सरगल 5. धरोटी	1. बरठी 2. टिहरी	
2. विकास खंड घुमारवीं						
3.	हटवाड़	1. हटवाड़ 2. दिप्पुर	देहरा हटवाड़	हटवाड़ (आंशिक हदवस्त न० 344 खसरा न० 154 से 300, 301 से 582, 1400 से 1769, 583 से 1399/817, 2551 से 2713/163)	1. हटवाड़ (आंशिक) 2. दिप्पुर	

4.	पतेहडा	1. फागत 2. पट्टा रणोत 3. छयावी 4. बालौणी 5. पतेहडा	कुठेडा मरहाणा	फागत	1. पट्टा रणोत 2. छयावी 3. बालौणी 4. पतेहडा	
5.	मरहाना	1. मरहाना 2. भटवाडा 3. ठडोह 4. पाल्मी 5. तुनसु 6. नलोग 7. टिकरी		मरहाना (आंशिक) हदबस्त न० 324 व 346 खसरा न० 798 से 842/45, 2214/843, 2215/843, 2216/843, 844 से 866/23, 1989/867, 1990/867, 868 से 872/5, 2217/873, 2218/873, 2219/873, 874 से 875/2, 875/1, 876 से 879/4, 2220/880, 2221/880, 2222/880, 2223/880, 881 से 893/13, 2224/893, 2225/894, 2226/894, 2227/894, 895 से 919/25, 1991/920, 1992/920, 1993/920, 921 से 941/21, 2382/942, 2383/942, 2384/942, 2385/942, 2386/942, 943 से 951/9, 1942/952, 1943 / 952, 1944/952, 1945/952, 1994/1946/952, 1995/1946/952, 1996/1946/952, 1997/1946/952 , 953 से 966/14, 2033/967, 2034/967, 2035/967, 2036/967, 2387/968, 2388/968, 2389/968, 969 से 971/3, 2150/972, 2151/972, 973 से 983/10, 2037/984, 2038/984, 2039/984, 2040/984, 985, 986, 986/1, 987, 988 से 1011/24, 2065/1012, 2066/1012, 2041/1013, 2042/1013, 2402/1014, 2403/1014, 2404/1014, 1015, 2405/1016, 2406/1016, 2407/1016, 1017 से 1021/5, 1021/1, 1023 से 1058/37, 2160/1059, 2378/2161/1059, 2379/2161/1059, 1060, 2380/1061, 2381/1061,	1. मरहाना (आंशिक) 2. भटवाडा 3. ठडोह 4. पाल्मी 5. तुनसु 6. नलोग 7. टिकरी	

				1062 से 1085/24, 2067/1086, 2068/1086, 2069/1087, 2070/1087, 1088, 1089, 2162/1090, 2163/1090, 2164/1090, 1091, 1092, 2152/1093, 2153/1093, 2154/1093, 1094, 1095, 1096 से 1103, 1103/1, 1104 से 1112, 2408/1113, 2409/1113, 2410/1113, 2396/1114, 2397/1114, 2398/1114, 2398/1114, 2400/1114, 2401/1114, 1115, 1116, 1116/1, 1947/1117, 948/1117, 949/1117, 2071/1950/1117, 2072/1950/1117, 2411/1118, 2412/1118, 2413/1119, 2414/1119, 2415/1119, 2415/1119, 2416/1119, 2417/1119, 2418/1119, 2419/1119, 2420/1119, 2421/1120, 2422/1120, 2423/1121, 2421/1120, 2422/1120, 2423/1121, 2424/1121, 2425/1121, 1122 से 1150, 1168/1151, 1160/1151, 1152 से 1162, 2210/1163, 2211/1163, 1164 से 1170, 2155/1171, 2156/1171, 2157/1171, 1172 से 1230, 1230/1, 2043/1231, 2438/2044/1231, 2439/2044/1231, 1232 से 1236, 2167/1237, 2212/2168/1237, 2213/2168/1237, 1238/1, 1239 से 1253, 2390/1254, 2391/1254, 2392/1254, 2393/1254, 1255 से 1270, 2046/1271, 2075/1271, 1272 से 1275, 2432/1276, 2433/1276, 1277 से 1281, 2075/1282, 2076/1282, 1283 से 1286, 2077/1287, 2078/1287, 1288 से 1301, 1301/1,		
--	--	--	--	---	--	--

				1302 से 1313, 1951/1314, 1952/1314, 1315 से 1340, 1340/1, 1341 से 1365, 1953/1366, 1954/1366, 1367 से 1391, 2440/1392, 2441/1392, 1393, 2442/1394, 2443/1394, 1395 से 1463, 2158/1464, 2159/1464, 1465 से 1467, 2047/1468, 2049/1468, 1469 से 1513, 2426/1514, 2427/1514, 1515 से 1528, 1531 से 1539, 1955/1540, 1956/1540, 1957/1540, 1541 से 1568, 1568/1, 1569, 1958/1570, 1959/1570, 1960/1570, 1571, 1961/1572, 1962/1572, 1573 से 1576, 1576/1, 1577 से 1584, 2228/1585, 2229/1585, 2230/1585, 1586 से 1590, 1590/1, 1591 से 1597, 2079/1598, 2080/1598, 1599 से 1668, 1668/1, 1669 से 1673, 1963/1674, 1964/1674, 1965 से 1687, 1965/1688, 1966/1688, 1689 से 1703, 1703/1, 2081/1704, 2082/1704, 1705 से 1710, 2231/1711, 2232/1711, 2233/1711, 2234/1711, 1712 से 1714, 2355/1715, 2356/1715, 2357/1715, 2358/1715, 1716 से 1726, 2050/1727, 2051/1727, 1728, 1729, 1729/1, 1730, 2299/1731, 2300/1731, 2359/1731, 2360/1731, 1732, 2361/1753, 2362/1733, 2363/1733, 2364/1733, 2365/1734, 2366/1734, 2367/1734, 2368/1734, 2369/1734, 2371/1734, 1735 से 1751,		
--	--	--	--	---	--	--

				2052/1752, 2053/1752, 1753 से 1755, 2444/1756, 2445/1756, 1757 से 1763, 1998/1764, 1999/1764, 1765, 2083/1766, 2084/1766, 2085/1766, 2086/1766, 1767 से 1774, 2053/1775, 2171/2055/1775, 2172/2055/1755, 1776, 1777, 2087/1778, 2088/1778, 2089/1778, 2090/1779, 2091/1779, 2092/1779, 1780 से 1782, 2093/1783, 2094/1783, 2095/1783, 1784, 2096/1785, 2097/1785, 2098/1785, 2099/1786, 2100/1786, 2101/1786, 2102/1786, 2103/1786, 2104/1786, 2105/1786, 2106/1786, 2107/1786, 2108/1786, 2109/1786, 1787, 1788, 2110/1789, 2111/1789, 2112/1789, 2113/1790, 2114/1790, 2115/1790, 2116/1790, 2117/1790, 1791 से 1794, 1967/1795, 1968/1795, 2118/1796, 2119/1796, 1799 से 1804, 2120/1805, 2121/1805, 2122/1805, 2123/1805, 2124/1805, 2125/1805, 2126/1805, 1805/1, 1806, 1807, 2073/1808, 2074/1808, 2127/1808, 2128/1808, 1809 से 1830, 2446/1831, 2447/1831, 1832 से 1861, 2056/ 1862, 2057/1862, 2058/1862, 1862/1, 1863 से 1933, 2169/1934, 2170/1934, 1935.		
--	--	--	--	--	--	--

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / —
सचिव (पंचायती राज) ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, दिनांक 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-5924-34.—क्योंकि विभाग में जिला ऊना, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन र नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला ऊना , के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों /आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला ऊना, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला ऊना, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला ऊना, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम।	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खंड हरोली						
6.	ललड़ी	3. लोअर ललड़ी	लोअर ललड़ी	1. लोअर ललड़ी (आंशिक) खसरा नं० 4258,208 व 217 हदवस्त नं० 470	1. लोअर ललड़ी (आंशिक)	
7.	ईसपुर	1. ईसपुर 2. ईसपुर उपरला 3. ईसपुर टांडा	ईसपुर टांडा	1. ईसपुर टांडा	1. ईसपुर 2. ईसपुर उपरला	
8.	बाथू	1. बाथू 2. कैलुआ 3. गुरपलाह	गुरपलाह	1. कैलुआ 2. गुरपलाह	1. बाथू	

2. विकास खंड ऊना						
4.	बहडाला	1. बहडाला 2. लमिया 3. मझलियाँ 4. चौखयाल	मझलियाँ	1. मझलियाँ 2. चौखयाल	1. बहडाला 2. लमिया	
5.	बसाल अप्पर	1. ठाकुर द्वारा 2. बसाल 3. गलुआ	ठाकुर द्वारा	1. गलुआ 2. बसाल (आंशिक)खसरा नं० 1 से 3033 हदवस्त नं० 194	1. ठाकुर द्वारा 2. बसाल (आंशिक)	

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-5901-10.—क्योंकि विभाग में जिला चंबा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला चंबा के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला चंबा, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों /आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला चंबा, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला चंबा, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला चंबा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम।	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण।
1	2	3	4	5	6	7

1 विकास खंड मेहला						
1.	सुनारा	4. माझाटा 5. तागी 6. सुनारा 7. कुण्डी	तागी	1. माझाटा 2. तागी	1. सुनारा 2. कुण्डी	
2 विकास खंड सलूणी						
2.	सनूह	4. सनूह 5. कैथली 6. भिद्रोह 7. भासुआ 8. पुढन 9. बाड़ी 10. घडेत्रा 11. RF मरहोठ 12. RF बगोली 10. ब्रहण 11. RF घडेत्रा 12. RF पनोगा 13. RF मैहलूण 14. RF टोकी दा पार 15. RF धजू 16. RF खणी 17. राणका 18. RF थमरू	भासुआ	1. भिद्रोह 2. भासुआ 3. घडेत्रा 4. ब्रहण 5. RF घडेत्रा 6. RF मैहलूण 7. राणका	3. सनूह 4. कैथली 5. पुढन 6. बाड़ी 7. RF मरहोठ 8. RF बगोली 9. RF पनोगा 10. RF टोकी दा पार 11. RF धजू 12. RF खणी 13. RF थमरू	
3.	भांदल	8. लगेरा 9. RF लंगेरा 10. प्रियुगल 11. चड भेंट 12. संघनी 13. जिलाडी 14. दिगोडी 15. रजनी 16. जलोट 17. आर. एफ. गईनाला 18. आर. एफ. गगली 19. आर. एफ. गवाड़ी 20. आर. एफ. जिलाडी 21. आर. एफ. नलवाड 1 22. आर. एफ. नलवाड 2 23. आर. एफ. नलवाड 3	संघनी	4. लगेरा 5. RF लंगेरा 6. प्रियुगल 7. चड भेंट 8. संघनी 9. आर. एफ. जिलाडी 10. आर. एफ. कलेहेटरा 11. आर. एफ. खोरन 12. आर. एफ. जमला 13. आर. एफ. फटीरी-1 14. आर. एफ. फटीरी-2 15. जमला 16. सिरगलू 17. भरना भालका	1. जिलाडी 2. दिगोडी 3. रजनी 4. जलोट 5. आर. एफ. गईनाला 6. आर. एफ. गगली 7. आर. एफ. गवाड़ी 8. आर. एफ. नलवाड-1 9. आर. एफ. नलवाड-2 10. आर. एफ. नलवाड-3 11. आर. एफ. बोडा 12. आर. एफ. भनगोथली 13. आर. एफ. रजल 14. आर. एफ.	

		24. आर.एफ . बोडा 25. आर.एफ भनगोधली 26. आर.एफ . रजल 27. आर.एफ . लगेरा 28. आर.एफ . लडेर 29. आर.एफ. छोटा जाउरा 30. आर.एफ . डाडी 31. आर.एफ. बीर 32. आर.एफ. सपाचोल 33. आर.एफ. ककरन 34. आर.एफ. कलेहेटरा 35. आर.एफ. खोरन 36. आर.एफ. जमला 37. आर.एफ. फटीरी-1 38. आर.एफ. फटीरी-2 39. जमला 40. ठका धार पधरी 41. ठका धार बाज बाग 42. धार गमगुल 43. धार इगली 44. धार मरहाट-1 45. धार मरहाट-2 46. धार सुपाचोलू 47. धार सियाह बेही 48. सिरगलू 49. धार सोनटीथ 50. भरना भालका			लगेरा 15. आर.एफ लडेर 16. आर.एफ छोटा जाउरा 17. आर.एफ डाडी 18. आर.एफ बीर 19. आर.एफ सपाचोल 20. आर.एफ ककरन 21. ठका धार पधरी 22. ठका धार बाज बाग 23. धार गमगुल 24. धार इगली 25. धार मरहाट- 1 26. धार मरहाट- 2 27. धार सुपाचोलू 28. धार सियाह बेही 29. धार सोनटीथ	
--	--	--	--	--	--	--

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, दिनांक 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-5890-5900.—क्योंकि विभाग में जिला हमीरपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला हमीरपुर, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला हमीरपुर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला हमीरपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड नादौन						
1.	बड़ा	1. अन्दारा 2. अमरोटा 3. कलरुही 4. कल्लर 5. चमराल 6. चलेटा 7. जंगली 8. जोल 9. झगड़ियाल 10. डब्बर पट्टा 11. डरियाल	चमराल	1. अन्दारा 2. अमरोटा 3. चमराल 4. जंगली 5. जोल 6. झगड़ियाल 7. डब्बर पट्टा 8. डरियाल 9. धनियन 10. प्लासी 11. बाग 12. सरुह	1. कलरुही 2. कल्लर 3. दोब्बड़ कलां 4. चलेटा 5. दोब्बड़ खुर्द 6. धन्गड़ 7. धनपुर 8. रूटेहन	

		12. दोब्बड़ 13. दोब्बड़ खुर्द 14. धन्गड़ 15. धनपुर 16. धनियन 17. प्लासी 18. बाग 19. रूटेहण 20. सरुह				
2.	कोटला चिलियां	1. फटाहल 2. डलोहल 3. कोटला 4. चूनवान 5. मतियाल 6. नघुं 7. वरेटी 8. रिट 9. जंगल खोर 10. सियोटी 11. चिल्लियाँ 12. मटवाड़ 13. रियोड़ी उपरली	नघुं	1. नघुं 2. वरेटी 3. रिट 4. सियोटी 5. रियोड़ी उपरली 6. रियोड़ी झिकली	1. फटाहल 2. डलोहल 3. कोटला 4. चूनवान 5. मतियाल 6. जंगल खोर 7. चिल्लियाँ 8. मटवाड़ 9. कल्लर	ग्राम सभा जलाड़ी के ग्राम कल्लर को ग्राम सभा कोटला चिल्लियाँ में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है
3.	जलाड़ी	1. पट्टा 2. जजोली 3. रियोड़ी झिकली 4. रियोड़ी भड़ियारा 5. गदियाड़ा 6. जलाड़ी सोखल्यां 7. सुंह 8. कल्लर 9. हरमंदिर मंडियाला 10. होड़ 11. हरमंदिर रुकवाला			1. पट्टा 2. जजोली 3. रियोड़ी भड़ियारा 4. गदियाड़ा 5. जलाड़ी सोखल्यां 6. सुंह 7. हरमंदिर मंडियाला 8. होड़ 9. हरमंदिर रुकवाला	
4.	उटप	1. भतनेडी 2. कोटलू 3. फारसी 4. साहडवीं 5. एटप 6. बल्ह	लंजयाणा	1. लंजयाणा 2. फगसाना 3. गंडोली	1. भतनेडी 2. कोटलू 3. फारसी 4. साहडवीं 5. एटप 6. बल्ह	

		7. री 8. लंजयाणा 9. फगसाना			7. री	
5.	गाहली	1. गंडोली 2. बनडोस 3. गाहली 4. लस्माई 5. कोहलवी 6. नगेहरडा			1. बनडोस 2. गाहली 3. लस्माई 4. कोहलवी नगेहरडा	

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-5935-46.—क्योंकि विभाग में जिला शिमला के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला शिमला, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला शिमला, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला शिमला, की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम।	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खंड मशोबरा						
1.	चमियाना	1. चमियाना	टिपरा	1. मेवाग	2. चमियाना	ग्राम पंचायत

		2. छकड़ेल 3. मेवाग 4. कलाली 5. बराह 6. गरहोग 7. कराली 8. केचमेंट एरिया 9. बोह 10. मलूठ 11. टिपरा		2. कलाली 3. बराह 4. गरहोग 5. कराली 6. केचमेंट एरिया 7. बोह 8. मलूठ 9. टिपरा	3. छकड़ेल	मलयाना के ग्राम सूराला व शनान ग्राम सभा चामियाणा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है
2.	बल्देयाँ	1. बल्देयाँ 2. केलीधार 3. शाहीसेर 4. कुसुफर 5. सधोड़ा 6. सधोड़ा दोची 7. भाटला 8. जोटलू 9. धार 10. चलावग 11. घाटी 12. कम्हालटी 13. सौल 14. शैनल 15. जुग		2. घाटी 3. कम्हालटी	1. बल्देयाँ 2. केलीधार 3. शाहीसेर 4. कुसुफर 5. सधोड़ा 6. सधोड़ा दोची 7. भाटला 8. जोटलू 9. धार 10. चलावग 11. सौल 12. शैनल 13. जुग	
	चैड़ी	3. भवाना 4. मणाव 5. अणु 6. चैड़ी 7. रुग 8. निहारी 9. शरावग 10. मंगूर 11. क्यार-कोटी	क्यारकोटी	3. मंगूर 4. क्यार-कोटी	1. भवाना 2. मणाव 3. अणु 4. चैड़ी 5. रुग 6. निहारी 7. शरावग	
	कोलू जुब्बड़	3. शिलडू-स्पोली 4. पटेंगली 5. कट्टली 6. कंडी 7. कोलू जुब्बड़ 8. धगोगी 9. छुनावट 10. झाल्टी 11. जंगल धगोगी 12. बौंटलू 13. चैवन		1. कट्टली (आंशिक) खसरा नं० 1 से 88 व 202 से 269, हदवस्त नं० 317	1. शिलडू-स्पोली 2. पटेंगली 3. कट्टली (आंशिक) 4. कंडी 5. कोलू जुब्बड़ 6. धगोगी 7. छुनावट 8. झाल्टी 9. जंगल धगोगी 10. बौंटलू 11. चैवन	
2. विकास खंड कोटखाई						
3	थरोला	1. टाहू 2. उप-मोहाल टाहू-II 3. उप-मोहाल ढलाना 4. थरोला 5. तहरोलीमय स्तान्डी 6. उप-मोहाल शोषण	कथान्डी	1. टाहू 2. उप-मोहाल टाहू-II 3. उप-मोहाल शोषण 4. रोणी	1. उप-मोहाल ढलाना 2. थरोला 3. तहरोलीमय स्तान्डी 3. बजोहा	

		7. बजोहा 8. रोणी 9. मराथू 10. पडारमय समाण 11. उप-मोहाल पजाई 12. कथान्डी		5. मराथू 6. कथान्डी	4. पडारमय समाण 5. उप-मोहाल पजाई	
--	--	---	--	------------------------	--	--

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / —
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—171 009, 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-5986-95.—क्योंकि विभाग में जिला मंडी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मंडी के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला मंडी, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मंडी, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला मंडी, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला मंडी, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड चौतड़ा						
9.	ढेलू	11. डोहग 12. ढेलुहार 13. ढेलु 14. योला	डोहग	1. डोहग 2. ढेलुहार	15. ढेलु 16. योला	

2. विकास खंड द्रंग						
10.	मासौली	13. झाल्वान 14. मासौली 15. छतर 16. खुदर 17. कौसल 18. पलहून	छतर	1. छतर 2. खुदर 3. कौसल	14. झाल्वान 15. मासौली 16. पलहून	
11.	नेर घरवासड़ा	51. मझारनू 52. नेर घरवासड़ा 53. कुण्डुनी 54. मनोह 55. भलैन्द्रा 56. कुफरू 57. छपरोट	मनोह	18. मनोह 19. भलैन्द्रा 20. कुफरू	1. मझारनू 2. नेर घरवासड़ा 3. कुण्डुनी 4. छपरोट	

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—171 009, 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-6008-12.—क्योंकि विभाग में जिला ऊना के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला ऊना, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला ऊना, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला ऊना, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला ऊना, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड हरौली						
1.	बीटन	1. बीटन 2. जखेवाल	जखेवाल	1. जखेवाल	1 बीटन	—

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / —
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—171 009, 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-5972-77.—क्योंकि विभाग में जिला सिरमौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला सिरमौर, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों /आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला सिरमौर, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन / स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला सिरमौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

क्र० सं०	ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों / ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं०-4 में वर्णित ग्राम/ ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खंड मशोबरा					

13.	मल्याणा	1. शुराला 2. चेली चौला 3. जाल्फ 4. शकराला 5. कमहाली 6. गनोटी 7. शनाहन 8. मल्याणा	1. शुराला 2. शनहान	चमियाना	1. चमियाना 2. छकडेल 3. मेवाग 4. कलाली 5. बराह 6. गरहोग 7. कराली 8. केचमेट एरिया 9. बोह 10. मलूठ 11. टिपरा 12. शुराला 13. शनहान	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम/ग्रामों को छोड़कर कोष्ठ संख्या 3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा "मल्याणा" में रहेंगे।
-----	---------	---	-------------------------------------	----------------	--	--

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—171 009, 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-5978-86.—क्योंकि विभाग में जिला सोलन, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन / स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला सोलन, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे,

राज्य सरकार, जिला सोलन, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/ स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला सोलन, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

1 विकास खंड नालागढ़						
14.	ढांग निचली	1. ढांग निचली 2. प्लासी मांगता 3. थाणा 4. मंगुवाल 5. कंगनवाल 6. ढांग उपरली	ढांग उपरली	1. ढांग उपरली 2. मंगुवाल 3. कंगनवाल	1. ढांग निचली 2. प्लासी मांगता 3. थाणा	
15.	किशनपुरा	3. किशनपुरा 4. हररायपुर 5. चनालमाजरा 6. गुरुमाजरा	गुरुमाजरा	4. हररायपुर 5. चनालमाजरा 6. गुरुमाजरा	1. किशनपुरा v	
16.	नवाग्राम	12. पटेड मियानी 13. हटडा 14. गुलाबपुरा 15. सौड़ी गुजरा 16. सौड़ी राजपूता 17. नवाग्राम 18. झजरा 19. पटेड फल्लू	गुलाबपुरा	5. पटेड मियानी 6. हटडा 7. गुलाबपुरा 8. सौड़ी गुजरा 9. सौड़ी राजपूता	2. नवाग्राम 3. झजरा 4. पटेड फल्लू	

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / —
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-5946-71.—क्योंकि विभाग में जिला कांगड़ा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला कांगड़ा, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों / आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कांगड़ा, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे।

राज्य सरकार, जिला कांगड़ा, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला कांगड़ा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खंड इन्दौरा						
1.	बड़खर	1. बड़खर 2. दियोठी 3. भटोली 4. बडाला	दियोठी	1. दियोठी 2. भटोली 3. बडाला	1. बड़खर	
2.	गंगथ	1. गंगथ	गंगथ-2	1. गंगथ (आंशिक)	1. गंगथ (आंशिक)	
3.	भोग्रवां	1. भोग्रवां 2. पिंडपाध्या 3. मंड भोग्रवां 4. हल्या 5. मलाल 6. राजगीर 7. संजवा	राजगीर	1. मलाल 2. राजगीर 3. संजवा	1. भोग्रवां 2. पिंडपाध्या 3. मंड भोग्रवां 4. हल्या	
4.	इन्दपुर	1. इन्दपुर 2. धन्तोल	धन्तोल	1. इन्दपुर (आंशिक) 2. धन्तोल	1. इन्दपुर (आंशिक)	
2. विकास खंड फ़तेहपुर						
5.	स्थाना	1. छब्बड़ 2. बेली 3. धियोत 4. कलम्ब 5. स्थाना 6. हार 7. भांथ	छब्बड़	1. छब्बड़ 2. बेली 3. धियोत 4. कलम्ब	1. स्थाना 2. हार 3. भांथ	
6.	हरनोता	1. हरनोता 2. भटोली 3. नियाल 4. ज्योर	हरनोता-2	1. हरनोता (आंशिक) हदवस्त नं० 96 खसरा नं० 488 से 499, 500 से 530, 531 से 544, 551 से 631, 633 से 697, 700 से 704, 706 से 708, 710 से 715, 721 से 745, 747 से 771, 773 से 783, 787 से 810, 812 से 829, 831, 832, 834, 838, 893 से 896, 901 से 929, 931 से 956, 965 से 999 से 1000 से	1. हरनोता (आंशिक) 2. ज्योर	

				1109, 1114 से 1117, 1145 से 1199, 1202 से 1255. 2. भटोली 3. नियाल		
3. विकास खंड नगरोटा बगवां						
7.	हटवास	1. बागियाँ 2. हटवास झिकला 3. हटवास खास	हटवास झिकला	1. बागियाँ 2. हटवास झिकला	1. हटवास खास	
4. विकास खंड काँगड़ा						
8.	जोगीपुर	1. जोगीपुर 2. रिहालपुर 3. हलेड़खुर्द 4. बौहड़बल्ला	हलेड़खुर्द	1. हलेड़खुर्द 2. बौहड़बल्ला	1. जोगीपुर 2. रिहालपुर	
5. विकास खंड पालमपुर						
9.	पढिया खर	1. सरसावा 2. पुरानी पलम 3. लछूं 4. बंड 5. पढियाखर 6. भदरैना	पुरानी पलम	1. पुरानी पलम 2. लछूं 3. बंड	1. सरसावा 2. पढियाखर 3. भदरैना	
6. विकास खंड नूरपुर						
10.	पुंदर	1. मनकोट 2. जोंटा 3. कोपड़ 4. छौ 5. मानेहड़ 6. भताल 7. छतरील 8. घुलियाणा 9. पलीण 10. सत्यारा 11. डमीण 12. बासा बलूंह 13. सुजन्ता 14. मौ	सुजन्ता	1. घुलियाणा 2. पलीण 3. सत्यारा 4. डमीण 5. बासा बलूंह 6. सुजन्ता 7. मौ	1. मनकोट 2. जोंटा 3. कोपड़ 4. छौ 5. मानेहड़ 6. भताल 7. छतरील	
7. विकास खंड देहरा						
11.	बढ़ल	1. बढ़ल निचली 2. बढ़ल उपरली 3. ठोर निचली 4. ठोर उपरली 5. बरवाड़ा	बरवाड़ा	1. बरवाड़ा 2. फलवाड़ा	1. बढ़ल निचली 2. बढ़ल उपरली 3. ठोर निचली 4. ठोर उपरली	
12.	ढौंटा	1. ढौंटा 2. फलवाड़ा			1. ढौंटा	
13.	ढलीयारा	1. ढलीयारा 2. कोहासन 3. भरवाडा 4. घरथेड़ 5. सूरजपुर	सूरजपुर	1. घरथेड़ 2. सूरजपुर	1. ढलीयारा 2. कोहासन 3. भरवाडा	ग्राम कोहासन ग्राम सभा बढ़हूँ में सम्मिलित किया गया है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / —
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग**अधिसूचना**

शिमला-171 009, 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-6003-07.—क्योंकि विभाग में जिला सिरमौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला सिरमौर, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला सिरमौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र 0 सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड शिलाई						
1.	बालीकोटी	1. बालीकोटी 2. बोवरी 3. चामरा मोहराड़	चामरा मोहराड़	1. चामरा मोहराड़	1. बालीकोटी 2. बोवरी	—

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (पंचायती राज)।**पंचायती राज विभाग****अधिसूचना**

शिमला-09, 13 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-6013-17.—क्योंकि विभाग में जिला शिमला के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला

शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित करने और जिला शिमला, के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पांच (5) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला शिमला, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला शिमला, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र 0 सं 0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण I
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड मशोबरा						
1.	दरभोग	1.जटोल 2.दुमैरह 3.नम्ब्रेली 4.बिनचर 5.बागना कलां 6.बागना खुर्द 7. जंगल जटोल 8. जंगल अब्बल मनून 9. जंगल दोयम दुमैहर 10. झगोग 11. दरभोग 12. मोड़ 13. काग 14. परारी 15. खिलभइला 16. जंगल दोयमकाग 17. जंगल दोयममोड़ परारी 18. सेरदगैन 19. जंगल एम. एम. कांडा उंडला	शिलोन बाग	1. जटोल 2. दुमैरह 3. नम्ब्रेली 4. बिनचर 5. बागना कलां 6. बागना खुर्द 7. जंगल जटोल 8. जंगल अब्बल मनून (आंशिक) 9. जंगल दोयम दुमैहर 10. झगोग	1. दरभोग 2. मोड़ 3. काग 4. परारी 5. खिल भइला 6. जंगल दोयम काग 7.जंगल दोयम मोड़ परारी 8. सेरदगैन 9. जंगल अब्बल मनून (आंशिक) 10. जंगल एम. एम. कांडा उंडला	—

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (पंचायती राज)।

BAR COUNCIL OF HIMACHAL PRADESH**ELECTION NOTIFICATION***Dated, the 16th February, 2026*

No. BCHP-Election Schedule-2026 Letter to Rajpatra-244.—The Bar Council Himachal Pradesh Election is hereby notified in terms of Order dated 18th November, 2025 of the Hon'ble Supreme Court of India in **Writ Petition (Civil) No. 1319/2023 titled as M. Varadhan vs. Union of India and Ors.** The Schedule of the Election is as under:—

1.	Date of Notification and publication in News Papers.	17th February, 2026
2.	Publication of Provisional Electoral Rolls	4th March, 2026
3.	Inviting objections to the Electoral Rolls	5th March, 2026 - 11th March, 2026
4.	Publication of final Electoral Rolls	18th March, 2026
5.	Receipt of Nomination forms at the office of Bar Council at Shimla.	19th March, 2026 - 25th March, 2026 10.00 A.M. to 04.00 P.M.
6.	Scrutiny of Nomination forms	26th March, 2026 - 27th March, 2026
7.	List of eligible candidates after scrutiny (To be put up on the notice board of Bar Council and Website).	28th March, 2026
8.	(i) Total number of seats: (ii) Number of seats for which election is to be held: (iii) To be co-opted: (iv) Minimum number of seats that have to be filled from amongst the advocates who have been on the State Rolls for at least 10 years: (v) Minimum number of seats that have to be filled from amongst the Women candidates:	20 seats 18 seats 2 seats 9 seats 4 seats
9.	Last date of withdrawal of candidature	31st March, 2026 upto 05.00 P.M.
10.	List of Final candidates after withdrawal (To be put up on the notice board of Bar Council and Website).	31st March, 2026 After 05.00 P.M.
11.	Date and Time of Polling/Election	20th April, 2026 10.00 A.M. to 05.00 P.M.
12.	Counting of Votes	23rd April, 2026 onwards

The Secretary, Bar Council is directed to take appropriate steps for publication of this notice in the Official Gazette and two newspapers. The Secretary, Bar Council shall put this notification on the website of the Bar Council of Himachal Pradesh as well as on the notice board of Bar Council of Himachal Pradesh and Bar Associations.

Note.—

- (i) Nomination forms shall be available for sale at the Office of the Bar Council of Himachal Pradesh at Shimla on payment of Rs.5,000/- (Rupees Five Thousand Only). Maximum 4 (four) nomination papers will be issued per candidate.
- (ii) Every nomination paper shall be accompanied by a non-refundable fee of Rs.1,25,000/- (Rupees One Lakh Twenty-Five Thousand Only) by way of Bank Draft/ Bankers Cheque in favour of “*BAR COUNCIL OF HIMACHAL PRADESH*” payable at Shimla or online.
- (iii) An Advocate belonging to the specially abled category contesting the Election of the Bar Council shall be required to pay a symbolic nomination fee of Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only) by way of Bank Draft/ Bankers Cheque in favour of “*BAR COUNCIL OF HIMACHAL PRADESH*” payable at Shimla or online instead of Rs.1,25,000/- (Rupees One Lakh Twenty-Five Thousand Only), as per Order dated 5th January, 2026 passed by the Hon’ble Supreme Court of India, in ***Pankaj Sinha vs. Bar Council of India & Ors.*** in Writ Petition(s) (Civil) No.(s) 1261/2025.
- (iv) There shall be no separate ballot paper for the women advocates contesting the Election of Bar Council of Himachal Pradesh, as per Order dated 16th January, 2026 of the Hon’ble Supreme Court of India.

Sd/-

Secretary,

Bar Council of Himachal Pradesh,

Issued with the approval of High-Powered Election Committee.

Approved by the Committee on 13th February, 2026.

MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA**PUBLIC NOTICE***Dated, the 12th February, 2026*

No./MCS/COMM/2026-345.—It is hereby notified for the information of the general public that the Draft Parivar Register of the families within the jurisdiction of Municipal Corporation Shimla is published in the Rajpatra (Himachal Pradesh e-Gazette) for inviting objections and suggestions from the general public.

A copy of the aforesaid Draft Parivar Register shall be kept available in the office of the Shimla Municipal Corporation for inspection by the general public during office hours.

Any objections or suggestions in respect of the Draft Parivar Register may be submitted in writing in Form-III in the office of the Corporation within a period of one month (30 Days) from the date of publication of the Draft Parivar Register in the Rajpatra (e-Gazette).

Objections and suggestions received after the stipulated period shall not be entertained.

Sd/-

Commissioner,

Municipal Corporation, Shimla.

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

निर्मला देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, गांव सुंदार, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 742/2026, दिनांक 04-02-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/2122, दिनांक 03-02-2026, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल (7) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका निर्मला देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, गांव सुंदार, डाकघर चण्डी लड़ोग, ग्राम पंचायत चण्डी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका निर्मला देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, गांव सुंदार, डाकघर चण्डी लड़ोग का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 03-02-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि निर्मला देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, गांव सुंदार, डाकघर चण्डी लड़ोग, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 02-09-1965 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका निर्मला देवी पुत्री श्री प्रेम लाल, गांव सुंदार, डाकघर चण्डी लड़ोग की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चण्डी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

चमनो पुत्र श्री धनी, गांव ब्रटका, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 743/2025, दिनांक 04-02-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/2121, दिनांक 03-02-2026, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदक चमनो पुत्र श्री धनी, गांव ब्रटका, डाकघर सन्धी, ग्राम पंचायत दुलाहर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक चमनो पुत्र श्री धनी, गांव ब्रटका, डाकघर सन्धी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 03-02-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चमनो पुत्र श्री धनी, गांव ब्रटका, डाकघर सन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 28-04-1966 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक चमनो पुत्र श्री धनी, गांव ब्रटका, डाकघर सन्धी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव दुलाहर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

In the Court of Sub Divisional Magistrate Bhattiyat at Chowari, District Chamba (H.P.)

In the matter of :—

Manorma Kumari d/o Shiv Ram, r/o Village & P.O. Tundi, Tehsil Sihunta, District Chamba, H.P. . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Proclamation for the delayed birth registration under Section 13(3) of the Registration of Births & Deaths Act, 1969.

Whereas, an application of Manorma Kumari d/o Shiv Ram, r/o Village & P.O. Tundi, Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.) has been received in the office through Additional registrar (Birth & Death)-cum-Medical Officer of Health Chamba, Distt. Chamba (H.P.) for the delayed registration of her birth in accordance with Section 13(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, it has been stated in the application that Manorma Kumari was born on 20-02-1958 but the registration of her birth could not be done within the prescribed period as stipulated under the Act and Rules made thereunder.

Now, therefore, in order to verify and confirm the accuracy of the information provided, this proclamation is hereby issued for the general information of the public at large that any person having any objection or relevant information with regard to the delayed registration of the aforesaid birth is hereby called upon to submit the same in writing to undersigned within 30 (thirty) days from the date of issuance of this notice.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no objection exists, and the matter shall be proceeded with further in accordance with law.

Issued under my hand and seal on this 6th day of Febraury, 2026.

Seal.

Sd/-
Sub Divisional Magistrate Bhattiyat,
District Chamba (H.P.).

In the Court of Sub Divisional Magistrate Bhattiyat at Chowari, District Chamba (H.P.)

In the matter of :—

Ajay Kumar s/o Bhim Singh, r/o V.P.O. Awan, Tehsil Bhattiyat, District Chamba, H.P.
. . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Proclamation for the delayed birth registration under Section 13(3) of the Registration of Births & Deaths Act, 1969,

Whereas, an application of Sh. Ajay Kumar s/o Bhim Singh, r/o V.P.O. Awan, Tehsil Bhattiyat, District Chamba (H.P.) has been received in the office through Additional registrar (Birth & Death)-cum-Medical Officer of Health Chamba, Distt. Chamba (H.P.) for the delayed registration of his birth in accordance with Section 13(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, it has been stated in the application that Sh. Ajay Kumar was born on 04-03-1986 but the registration of his birth could not be done within the prescribed period as stipulated under the Act and Rules made thereunder.

Now, therefore, in order to verify and confirm the accuracy of the information provided, this proclamation is hereby issued for the general information of the public at large that any person having any objection or relevant information with regard to the delayed registration of the aforesaid birth is hereby called upon to submit the same in writing to undersigned within 30 (thirty) days from the date of issuance of this notice.

In case no objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no objection exists, and the matter shall be proceeded with further in accordance with law.

Issued under my hand and seal on this 6th day of February, 2026.

Seal.

Sd/-
Sub Divisional Magistrate Bhattiyat,
District Chamba (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कृष्णों देवी पत्नी श्री चमारु राम, निवासी गांव समतर, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र ब्यानहल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती रेलो देवी की मृत्यु तिथि 04-03-1988 है, जोकि ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की माता श्रीमती रेलो देवी की मृत्यु तिथि, ग्राम पंचायत ककीरा जरेई के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 12-03-2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री जगदीश चंद पुत्र श्री गुसाऊँ, निवासी गांव गुवाड़ी, परगना जुंढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री जगदीश चंद पुत्र श्री गुसाऊँ, निवासी गांव गुवाड़ी, परगना जुंढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 21-04-1976 को गांव गुवाड़ी, ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश अपने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु

रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत खरल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 23-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 23-02-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 22-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री मोती राम, गांव पुछवाड़ा, डाकघर सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.— मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 532/2026, दिनांक 27-01-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/1556, दिनांक 23-01-2026, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट जिसमें श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री मोती राम, गांव पुछवाड़ा, डाकघर सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की बहन श्रीमती सरोज पत्नी श्री सतीश कुमार, ग्राम पंचायत सिढकुंड की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की बहन श्रीमती सरोज पत्नी श्री सतीश कुमार, ग्राम पंचायत सिढकुंड की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 23-01-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरोज पत्नी श्री सतीश कुमार, ग्राम पंचायत सिढकुंड, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 11-11-2016 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की बहन श्रीमती सरोज पत्नी श्री सतीश कुमार, ग्राम पंचायत सिढकुंड, परगना राजनगर की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 31-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

टेक चन्द पुत्र श्री नुधू राम, गांव बरोलू, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 232/2025, दिनांक 15-01-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/589 दिनांक 08-01-2026, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदक टेक चन्द पुत्र श्री नुधू राम, गांव बरोलू, डाकघर कन्दला, ग्राम पंचायत कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक टेक चन्द पुत्र श्री नुधू राम, गांव बरोलू, डाकघर कन्दला का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 08-01-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि टेक चन्द पुत्र श्री नुधू राम, गांव बरोलू, डाकघर कन्दला, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 17-05-1967 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक टेक चन्द पुत्र श्री नुधू राम, गांव बरोलू, डाकघर कन्दला की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव कन्दला को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री शक्ति प्रसाद पुत्र स्व० श्री निहालू राम, गांव पुखरोग, डाकघर मसरुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.— मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 553/2025, दिनांक 29-01-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/13122, दिनांक 12-06-2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट जिसमें श्री शक्ति प्रसाद पुत्र स्व० श्री निहालू राम, गांव पुखरोग, डाकघर मसरुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) के पिता श्री निहालू राम पुत्र श्री लखू, ग्राम पंचायत मसरुंड की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के पिता श्री निहालू राम पुत्र श्री लखू, ग्राम पंचायत मसरुंड की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 12-06-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री निहालू राम पुत्र श्री लखू, ग्राम पंचायत पुखरोग परगना धुन्धी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 27-05-2002 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के पिता श्री निहालू राम पुत्र श्री लखू, ग्राम पंचायत मसरुंड, परगना धुन्धी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मसरुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 14 ना० तह०/वाचक/उप-तहसील/तेलका/2026-123-24 दिनांक : 02-02-2026

तिलक राज पुत्र चतरो, गांव छम्बर, डा० पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०) वादी।

बनाम

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-1288, दिनांक 20-01-2026, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) आधार कार्ड जिसमें आवेदक तिलक राज पुत्र चतरो, गांव छम्बर, डा0 पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक तिलक राज का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 20-01-2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि तिलक राज पुत्र चतरो, गांव छम्बर, डा0 पन्ताह, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 19-10-1976 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक तिलक राज पुत्र चतरो, गांव छम्बर, डा0 पन्ताह की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सेरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 13 ना0 तह0/वाचक/उप-तहसील/तेलका/2026-125-26 दिनांक : 02-02-2026

कुसमा पुत्री ज्ञान चन्द, गांव लदवाह, डा0 लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)

वादिता।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिग्गा, विकास खण्ड सलूणी।

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-24906, दिनांक 10-12-2025, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) परिवार नकल, (6) वोटर कार्ड जिसमें आवेदिका कुसमा पुत्री ज्ञान चन्द, गांव लदवाह, डा0 लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका

कुसमा का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 10-12-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कुसमा पुत्री ज्ञान चन्द, गांव लदवाह, डा0 लिग्गा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01-07-1965 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका कुसमा पुत्री ज्ञान चन्द, गांव लदवाह, डा0 लिग्गा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव लिग्गा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री देश राज पुत्र श्री किरपो, निवासी गांव कुडेरा, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम देश राज है, जोकि आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल गुडाना में गलती से जैवन्त राम दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असातन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07-03-2026 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती तृप्ता देवी पुत्री गीगा हाल पत्नी सरोज कुमार, निवासी गांव गडाना, डाकघर भराड़ी,
उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम तृप्ता देवी है, जोकि आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व राशन कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल गुडाना में गलती से भोटली दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07-03-2026 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 04-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था वृत्त, बिझड़,
तहसील ढटवाल (बिझड़ी), जिला हमीरपुर (हि0प्र0)**

मिसल नम्बर : 01/26

किस्म केस : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24-03-2026

विवेकानन्द पुत्र सुहड़ू उपनाम सोहन लाल, निवासी महाल चकमोह तप्पा व तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र बाबत महाल चकमोह तप्पा व तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने के सन्दर्भ में।

प्रार्थी विवेकानन्द पुत्र सुहड़ू उपनाम सोहन लाल, निवासी महाल चकमोह तप्पा व तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल चकमोह में विवेकानन्द दर्ज है, जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व नकल परिवार में प्रार्थी का नाम विवेक कुमार दर्ज है। पुष्टि हेतु प्रार्थी ने शपथ-पत्र व आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व नकल परिवार की छाया प्रति पेश की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह व्यक्त किया है कि उसका नाम उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेख महाल चकमोह में विवेकानन्द पुत्र सुहड़ू उपनाम सोहन लाल के बजाए विवेक कुमार पुत्र सुहड़ू उपनाम सोहन लाल दर्ज किया जावे।

अतः इशतहार द्वारा हर खास व आम जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24-03-2026 को यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के एक माह के भीतर असालतन या वकालतन अपना एतराज अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 28-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता भू-व्यवस्था वृत्त, द्वितीय श्रेणी बिझड़,
जिला हमीरपुर (हि0प्र)।

**Before the Court of Assistant Collector 1st Grade-cum-Tehsildar-cum-Land Reforms
Officer, Tehsildar-Rohru, Himachal Pradesh**

Case No.: 704841/2025

Date of Institution: 26-11-2025

Date of Decision: 28-01-2026

1. Balbir Singh s/o Late Sh. Durga Dass r/o Village & P.O. Turan, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) .. *Applicant*

Versus

1. Rajinder Singh, 2. Bobby both son's, 3. Sita Devi, 4. Kavita Devi both daughters 5. Kidi Devi w/o Late Sh. Pratap Singh, all r/o Bobby Niwas Behind G.ssss Rohru (Boys) Rohru (Gangtoli), P.O. & Tehsil Rohru, Distt Shimla (H.P.) 6. Naresh Kumar son, 7. Beena Devi & 8. Meera Devi, 9. Kumari Chhaya Rani, 10. Kumari Rachna all daughters 11. Chamku w/o Late Sh. Salam Jeet all r/o Tanta Niwas Near Subhash Nagar Gangtoli, P.O. & Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) 12. Negi Ram, 13. Lokinder Singh both son's, 14. Saundri w/o Late Sh. Saran Dass, all r/o Negi Niwas, Near Subhash Nagar Gangtoli, P.O. & Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) 15. Vijay Kumar s/o Sh. Kamla Nand, r/o Village Dumrera, P.O. Devidhar, Sub-Tehsil Jangla, Distt. Shimla (H.P.).

.. *Respondents*

Subject: — Application under Section 23 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for effecting substituted service upon the respondents by way of publication in the Rajpatra/Gazette in the above-mentioned partition suit.

That the applicant has filed an application dated 26-11-2025 seeking partition of joint land comprised in Khewat No. 06, Khatoni No. 14 to 21, Kita 13 area measuring 1543-75, situated at Chak Nagar Panchayat Gangtoli, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

The respondents are hereby called upon to appear in person or through a duly authorized agent and file objection, if any, in writing or orally on 26-02-2026 at 2:00 PM before the Court of the undersigned, failing which the matter shall proceed in accordance with law.

If no objection is filed by any of the respondents within the prescribed time, it shall be deemed that the respondents have no objection, and the partition shall be disposed of in accordance with law.

Issued under my seal and signature on dated 5th February 2026.

Seal

Sd/-
Assistant Collector 1st Grade,
Tehsildar-Rohru, Himachal Pradesh.

**In the Court of Shri Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H. P.)**

Sh. Shubham Kumar s/o Sh. Om Prakash & Smt. Poonam Lata, r/o Village Bharyal, P.O. Badheri, Tehsil Shimla, Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Shubham Kumar s/o Sh. Om Prakash & Smt. Poonam Lata, r/o Village Bharyal, P.O. Badheri, Tehsil Shimla, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his named—Shubham Kumar s/o Sh. Om Prakash & Smt. Poonam Lata, r/o Village Bharyal, P.O. Badheri, Tehsil Shimla, Distt. Shimla (H.P.).

In the record of Registrar, Birth and Death, Garm Panchayat, Totu Majthai Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Shubham Kumar	Self	07-02-1998

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding, date of Birth of above named in the record of Gram Panchayat, Totu Majthai Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 03-02-2026 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Shri Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H. P.)**

Sh. Ashok Kumar s/o Late Sh. Lok Bhadur & Smt. Asha Devi, r/o Village Girav, P.O. Totu, Tehsil Shimla Rural, Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Ashok Kumar s/o Late Sh. Lok Bhadur & Smt. Asha Devi, r/o Village Girav, P.O. Totu, Tehsil Shimla Rural, Distt. Shimla (H.P.). has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of Sh. Ashok Kumar s/o Late Sh. Lok Bhadur & Smt. Asha Devi, r/o Village Girav, P.O. Totu, Tehsil Shimla Rural, Distt. Shimla (H.P.). at the Secy.-cum-Registrar (Birth & Death), Gram Panchayat Girav-Khurd, Shimla, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relationc with applicant	Date of Birth
1.	Ashok Kumar	Self	03-10-1987

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding, entery of date of Birth of above named in the record Secy.-cum-Registrar (Birth & Death), Gram Panchayat Girav-Khurd, Shimla, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla. may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 27-01-2026 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Sh. Rama Nand Ghanolta, Assistant Collector IInd Grade-cum-Naib
TehsilDar, Nahan, Tehsil Nahan ,District Sirmaur, Himachal Pradesh.**

In the Matter of:—

Case No. 803158/2026

Nature of Case :— Correction of Revenue record

Sh. Puran Chand s/o Late Sh. Khajan Singh, r/o Village Khudu Balahar, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondents.

Application for correction of his name in revenue record Khudu Balahar, Patwar Circle Panjahal, Tehsil Nahan.

Whereas, Sh. Puran Chand s/o Late Sh. Khajan Singh, r/o Village Khudu balahar, Tehsil Nahan, District Sirmaur, (H.P.) has filed an application alongwith affidavits, copy of Jamabandi Year 2017-18 Mauza Khudu Balahar, Tehsil Nahan, copy of pariwar register and other documents in the court of the undersigned to correct his name, namely Puran Singh s/o Late Sh. Khajan Singh in place of Rajinder Singh s/o Late Sh. Khajan Singh in revenue record Mauza Khudu Balahar, Tehsil Nahan.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone regarding above correction in revenue record Mauza Khudu Balahar, Tehsil Nahan, then they should appear before the court of undersigned on or before 03-03-2026 either personally or through their authorized agent or advocate.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 05th day of February, 2026.

Seal.

Sd/-

*RAMA NAND GHANOLTA,
Assistant Collector IInd grade-cum-Naib-Tehsildar,
Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).*

Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H.P.)

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
05/2026	04-02-2026	03-03-2026

Smt. Jeevan Jyoti d/o Sh. Rishi Ram Dogra, r/o Village Dadal (Dori), P.O. Bhumti, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.)

..Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Regarding delayed registration of birth event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Smt. Jeevan Jyoti d/o Sh. Rishi Ram Dogra, r/o Village Dadal (Dori), P.O. Bhumti, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 06-06-1985 at Village Dadal (Dori), P.O. Bhumti, but her birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Bhumti, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the non availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Bhumti, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for registration of delayed birth in respect of Smt. Jeevan Jyoti, may submit their objections in writing in this office on or before 03-03-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 04th day of February, 2026.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Tanu Nanda w/o Rajneesh Kumar, Village Ramnagar, P.O. Chanour, Tehsil Dada Siba, District Kangra (H.P.) declare that my minor daughter's name is wrongly recorded in birth certificate as Alyza in R.R.M. Central Hospital, Street No. 3, Central Town, District Hoshiarpur, whereas, her correct name is Alayza Kashyap. That it may be corrected in birth & hospital record as Alayza Kashyap. Concerned note.

TANU NANDA
w/o Rajneesh Kumar,
Village Ramnagar,
P.O. Chanour, Tehsil Dada Siba,
District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Vinod Kumar s/o Wazir Chand, r/o Village & P.O. Rissa, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that my name in all government documents is Vinod Kumar, but it has been wrongly recorded as Vipin Kumar Rana in my Aadhar Card No. 2836 0685 4858. This may please be corrected to Vinod Kumar.

VINOD KUMAR
s/o Wazir Chand,
r/o Village & P.O. Rissa,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Puran Lal s/o Late Shri Santi Ram, Village Marhari, P.O. Nishani, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) declare that my father's name is erroneously recorded as "Sangat Ram" in my Pan Card. My father's real name is Santi Ram, which is recorded in my Aadhar Card, Panchayat records and other official documents. Santi Ram name should be corrected.

PURAN LAL
s/o Late Shri Santi Ram,
Village Marhari,
P.O. Nishani, Tehsil Nirmand,
District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ambo w/o Sh. Karam Chand, r/o V.P.O. Bairagarh, Tehsil Churah & Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 6113 8837 7289 my name is wrongly entered as Kamli, which is incorrect. Whereas my correct name is Ambo. I shall be known as Ambo for all purposes in future. Please note.

AMBO
w/o Sh. Karam Chand,
r/o V.P.O. Bairagarh,
Tehsil Churah & Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Dushyant Kumar s/o Naresh Kumar, Joun, P.O. Maindhi, Tehsil Karsog, Mehndi (437), P.O. Mehndi, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 8531 4799 9860 my name as Dishant is wrongly entered. Correct name is Dushyant Kumar.

DUSHYANT KUMAR
s/o Naresh Kumar, Joun,
P.O. Maindhi, Tehsil Karsog, Mehndi (437),
P.O. Mehndi, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Punam Devi w/o Sh. Anil Kumar, r/o 25 Ganj Road, Shimla (H.P.) declare that in my PAN Card bearing No. AFUPD4313A my father's name is wrongly entered as Lehna Ram Kaushal which should be corrected as Kartar Chand Kaushal. Please correct this.

PUNAM DEVI
w/o Sh. Anil Kumar,
r/o 25 Ganj Road, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Punam Devi w/o Sh. Anil Kumar, r/o 25 Ganj Road, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Poonam (Previous Name) to Punam Devi (New Name). All concerned please may note.

PUNAM DEVI
w/o Sh. Anil Kumar,
r/o 25 Ganj Road, Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Krishna Kumari w/o Late Sh. Hari Parkash Sharma, r/o Ward No. 2, Rattan Gali Nadaun, P.O. & Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 8675 5576 2109 my name is wrongly entered as Krishana Devi. Whereas my correct name is Krishna Kumari. Please note.

KRISHNA KUMARI
w/o Late Sh. Hari Parkash Sharma,
r/o Ward No. 2, Rattan Gali Nadaun,
P.O. & Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Asha w/o Sh. Pawan Kumar, r/o Village Shilh, P.O. Chauridhar, Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my minor daughter's Aadhar Card bearing No. 6546 8719 4158 her name was wrongly entered as Keejal, which should be corrected as Kinjal. Please correct this.

ASHA
w/o Sh. Pawan Kumar,
r/o Village Shilh, P.O. Chauridhar,
Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Neeta w/o Sh. Pradeep Kumar, Vill. Saraji, P.O. Dhadi-Rawat, Sub-Tehsil Sarswati Nagar, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Nisha in my Aadhar Card No. 9713 5983 8214. Therefore it should be changed to Neeta in my Aadhar Card. Note the relevant information.

NEETA
w/o Sh. Pradeep Kumar,
Vill. Saraji, P.O. Dhadi-Rawat,
Sub-Tehsil Sarswati Nagar, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Amni Chand (Old Name) s/o Late Sh. Moti Ram Dogra aged about 75 years, r/o Village Daro Dakun (61), Narkanda, Shimla, Kumarsain (t), Shimla (H.P.)-171 213 declare that I have changed my name from Amni Chand (Old Name) to Amin Chand Dogra (New name). All concerned please may note.

AMNI CHAND
s/o Late Sh. Moti Ram Dogra,
r/o Village Daro Dakun (61), Narkanda,
Shimla, Kumarsain (t), Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jagtamba Devi w/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Harsi, P.O. Harsi, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Jagtambo Devi to Jagtamba Devi for all purposes in future. All concerned please note.

JAGTAMBA DEVI
w/o Sh. Jagdish Chand,
r/o Village Harsi, P.O. Harsi,
Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ujjawal s/o Sh. Surinder Jaswal, r/o Village Masot, P.O. Naleti, Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my birth certificate my name was wrongly entered as Ujjwal Jaswal, which should be corrected as Ujjawal. Please correct this.

UJJAWAL
s/o Sh. Surinder Jaswal,
r/o Village Masot, P.O. Naleti,
Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanjeev Kumar s/o Sh. Sardari Lal, Permanent Address House No. 567, Sector 20A, Chandigarh-160 020, Presently residing at Usha Cottage Cart Road, Shimla Urban (T), P.O. Shimla, G.P.O., Distt. Shimla (H.P.)-171 001 declare that in my son's birth certificate his name is wrongly entered as Gauransh, which should be corrected as Vedansh Kumar. Please correct this

SANJEEV KUMAR
s/o Sh. Sardari Lal,
Permanent Address House No. 567,
Sector 20A, Chandigarh-160 020,
Presently residing at Usha Cottage Cart Road,
Shimla Urban (T), P.O. Shimla,
G.P.O., Distt. Shimla (H.P.)-171 001.